महत्पूर्ण / तत्काल / ई–मेल

संख्या : 192 /III(2)16–51(सामान्य) / 2013

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयांकी,
प्रभारी सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग –2 देहरादून : दिनांक 31 मार्च, 2017

विषय : लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के अनुपालनार्थ कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किये जा रहें हैं, कृपया, सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इनका अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

1. समय– समय पर शासन द्वारा मार्गों पर नवीनीकरण के कार्यों के उचित प्रबन्धन हेतु दिशा निर्देशों के साथ ही समय सारिणी भी दी जाती रही है। सम्बन्धित अधिकारी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2017–18 के लिए मार्गों पर स्वीकृत कि.मी. में नवीनीकरण का कार्य दिनांक 31 मई, 2017 तक पूर्ण किया जाय।
2. पूर्व निर्मित सेतुओं / पुलियों का मानसून से पूर्व सम्बन्धित अभियन्ताओं द्वारा निश्चित रूप से निरीक्षण कर लिया जाय। सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं का दायित्व होगा कि उनके क्षेत्र से सम्बन्धित सभी सेतुओं / पुलियों का सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण कर लिया गया है तथा निरीक्षण आख्या ब्रिज एवं कल्वर्ट रजिस्टर में अंकित कर दी गयी है।
3. निरीक्षण के समय सेतुओं / पुलियों में जहां कोई क्षति / कमी दृष्टिगोचर होती है, अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत मानसून से पूर्व उसकी मरम्मत करवा दी जाय। यदि कार्य की मात्रा अधिक है तथा सामान्य अनुरक्षण की मद से कार्य सम्पादित कराने में कठिनाई हो तो आगणन गठित कर स्वीकृति हेतु प्रमुख अभियन्ता कार्यालय को प्रेषित किया जाय ताकि स्वीकृति सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही प्रमुख अभियन्ता स्तर से की जा सके।
4. मार्गों को पैचलेस (गड्ढा मुक्त) किये जाने हेतु समय सारिणी तथा दिशा निर्देश शासन के पत्र दिनांक 29 मार्च, 2017 द्वारा दिये जा चुके हैं। सम्बन्धित अधिकारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें।
5. कार्यों की गुणवत्ता की चेकिंग हेतु मुख्य अभियन्ताओं / अधीक्षण अभियन्ताओं को प्रतिमाह कार्य आवंटित किए जाते हैं। कतिपय अधिकारियों द्वारा अपनी रिपोर्ट में कार्य की गुणवत्ता का उल्लेख मानकों के सापेक्ष न करते हुए अपनी आख्या में सुझाव अंकित किया रहता है। कृपया, कृत कार्य की गुणवत्ता का उल्लेख मानकों के सापेक्ष स्पष्ट रूप से किया जाय। यदि यह पाया गया कि अमुक अधिकारी द्वारा